

322
प.क.0n
प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम)

देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में जलागम प्रबन्ध निदेशालय-अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1386/3-2(ब) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2401-फसल एवं कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-97-बाह्य सहायतित योजना-9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत मानक मद 25-लघु निर्माण में हो रही बचत रु0 4.31 लाख को अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2401-फसल एवं कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद 01- वेतन में रु0 4.31 लाख (रु0 चार लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2018 तक उपयोग कर लिया जाएगा। उक्तानुसार प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में पुनर्विनियोजित धनराशि का समर्पण कदापि नहीं किया जायेगा, यदि पुनर्विनियोजित धनराशि का समर्पण किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन 97-बाह्य सहायतित योजना-9701-उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकरण जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0 9 के स्तम्भ 1 में अंकित 25-लघु निर्माण कार्य की मद में हो रही बचतों से स्तम्भ-7 में अंकित सुसंगत मानक मद के नामें डाला जाएगा।

5. यह आदेश पत्रसंख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के कम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी S1712470182 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 117/XXVII-4/2017 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 163 / ज0प्र0अनु0 / 2017-05-02(02) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि बी0एम0-15 की प्रति सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

संलग्न तथोपरि

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव